

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा छत्तीसगढ़
क. / 819 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 15 कोरबा दिनांक 30/4 / 2015

// प्रमाण पत्र //

मेसर्स उपाध्यक्ष (विस्तार परियोजना) भारत एल्युमिनियम कम्पनी कोरबा को 1200 मेंगावाट पावर प्लांट से पावर ग्रीड के 765 / 400 के.व्ही धरमजयगढ़ (पी.जी.सी.आई.एल.) पुलींग स्टेशन तक 400 के.व्ही पारेषण लाईन का निर्माण कार्य हेतु जिला कोरबा में कोरबा वन मंडल के ग्राम रिस्दी, एवं कुकरी चोली गांव के राजस्व वन भूमि ब्यपवर्तन हेतु कुल रकबा 1.535 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन 1 प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है । तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्रफल की राजस्व वन भूमि 1.535 हेक्टेयर जो इस कार्य हेतु ब्यपवर्तित की जानी है ।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत सरकार का पत्र क0/11-9/98 -एफ सी.(पी.टी.) पर्यावरण नई दिल्ली दिनांक 5.2.13 के द्वारा सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, ऑप्टिकल फाइबर, बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रैखिक ब्यपवर्तन) शामिल हों उन्हें वहां ग्राम सभा की सहमती की आवश्यकता से छुट दी गई है ।

- 1 आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार पत्र का वितरण नहीं किया गया है ।
- 2 प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित क्षेत्र में विशेष पिछड़ा जनजाति समुह विलुप्तप्राय जनजाति समुह (पी.टी.जी.पी.ए.सी.) निवासरत नहीं है । जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) (इ) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है ।
- 3 संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 6.1.14 के संकल्पों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि ब्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

(रीना बाबासाहेब कंगाले)

कलेक्टर

एवं अध्यक्ष - जिला वन अधिकार समिति

कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा दिनांक 30/04/2015

पृ0क0 / 820 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2015
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. वनमण्डलाधिकारी, कोरबा की ओर सूचनार्थ ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा की ओर सूचनार्थ ।
4. उपाध्यक्ष (विस्तार परियोजना) भारत एल्युमिनियम कम्पनी कोरबा की ओर सूचनार्थ ।



(रीना बाबासाहेब कंगाले)

कलेक्टर

कोरबा (छत्तीसगढ़)

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
कोरबा (छत्तीसगढ़)**

क्रमांक / 1405 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2015

कोरबा, दिनांक 17/7 / 2015

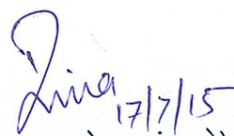
// प्रमाण-पत्र //

भारत एल्युमिनियम कंपनी, कोरबा को 1200 मेगावाट पॉवर प्लांट से पॉवर ग्रीड के 765/400 के.व्ही. धरमजयगढ़ (पी.जी.सी.आई.एल.) पुलींग स्टेशन तक 400 के.व्ही. पारेषण लाईन का निर्माण कार्य हेतु जिला कोरबा में कोरबा वनमंडल के ग्राम कोहड़िया खसरा नंबर 491/1, 582/1 ग्राम रिसदा खसरा नंबर 907 एवं ग्राम रिसदी खसरा नंबर 207/1 की राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु रकबा क्रमशः 3.882, 3.091, 5.349, 1.886 हेक्टेयर कुल रकबा 14.209 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया जाता है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्रफल की राजस्व वन भूमि 14.209 हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है जो ग्राम रिसदी, रिसदा एवं कोहड़िया, तहसील कोरबा में स्थित है, तदनुसार कार्यवाही पूर्ण की गई।

सहायक महानिरीक्षक भारत सरकार के पत्र क्र./11-9/98-एफ.सी. (पी.टी.) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली दिनांक 05.02.2013 के द्वारा जहां सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, आर्टिकल फाइबर, बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रैखिक व्यपवर्तन) शामिल हों उन्हें वहां विशेष पिछड़ी जनजाति एवं कृषि समुदाय प्रभावित नहीं होने की दशा में ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

2. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 28.07.2014 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित क्षेत्र में वन अधिकार पत्र का वितरण निरंक है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति समुह विलुप्तप्राय जनजाति समुह (पी.टी.जी.पी.ए.सी.) निवासरत नहीं है जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(इ) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
4. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन दिनांक 14.08.2014 के संकल्पों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित राजस्व वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।


(रीना बाबासाहेब कंगाले)

कलेक्टर

एवं अध्यक्ष, जिला वन अधिकार समिति
कोरबा (छत्तीसगढ़)

// 2 //

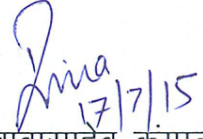


// 2 //

पृ.क्रमांक / 1406 / भू.अ. / स.अ.भू.अ. / 2015
प्रतिलिपि :-

कोरबा, दिनांक 17 / 7 / 2015

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी, कोरबा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा की ओर सूचनार्थ।
4. उपाध्यक्ष (विस्तार परियोजना) भारत एल्युमिनियम कंपनी, कोरबा की ओर सूचनार्थ।


(श्रीना बाबासाहेब कंगाले)

कलेक्टर
एवं अध्यक्ष जिला वन अधिकार समिति
कोरबा (छत्तीसगढ़)



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ.ग.)

क/ 1510 / भू.अ./स.अ.भू.अ./2015

कोरबा दिनांक 7/8/2015

// प्रमाण पत्र //

प्रारूप स

मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा को पावर प्लांट से पावर ग्रीड के 400/765 के. व्ही. धरमजयगढ़ (कोरबा पुलिंग स्टेशन तक) 400 के. व्ही. पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु कोरबा जिला में कोरबा वनमंडल के ग्राम पंडरीपानी, भूलसीडीह, झगरहा गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 2.570हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 2.060हे. एवं/राजस्व वन भूमि 0.510हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम पंडरीपानी, भूलसीडीह, झगरहा तहसील कोरबा में स्थित है।

सहायक महानिरीक्षक वन भारत का पत्र क्र./11-9/198- एफ सी.(पी.टी.) पर्यावरण नई दिल्ली दिनांक 5.2.13 के द्वारा सड़क निर्माण, नहरों, पाईप लाईन, आस्टिकल फाइबर, बिछाव एवं संचरण लाईनों जैसी परियोजनाओं का गमन (रैखिक व्यपवर्तन) शामिल हों उन्हे वहां ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता से छुट दिया गया है।

वन अधिकारों के सूचि निम्न अनुसार है:-

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार पत्र धारक का नाम एवं पिता का नाम	जाति	खसरा नं.	रकबा
1	पण्डरीपानी	श्यामलाल/चैतराम	सतनामी	551/1	0.190
2	पण्डरीपानी	विमल कुमार/ गोपाल राम	सतनामी	551/1	0.160
3	पण्डरीपानी	महेत्तरदास/बालकदास	पनिका	551/1	0.080
4	पण्डरीपानी	सियाराम/मंगलूराम	केंवट	551/1	0.080
5	पण्डरीपानी	सियाराम/मिलूराम	धोबी	551/1	0.160
6	पण्डरीपानी	राजेश/चैतराम	सतनामी	551/1	0.120
7	पण्डरीपानी	दिलदार कुमार/दामोदर	धोबी	551/1	0.060
8	पण्डरीपानी	फागुराम/भगतदास	मरार	551/1	0.252
9	पण्डरीपानी	रमेश कुमार/ भगतदास	मरार	551/1	0.080
10	पण्डरीपानी	शिवप्रसाद/तीजराज	कुम्हार	551/1	0.010
11	पण्डरीपानी	परदेशीराम/सखाराम	केंवट	551/1	0.400
12	पण्डरीपानी	शितपाल/दामोदर	धोबी	551/1	0.100
13	पण्डरीपानी	अमृतलाल/सालिकराम	केंवट	551/1	0.200
14	पण्डरीपानी	चैतराम/जगताराम	सतनामी	551/1	0.470
15	पण्डरीपानी	दूरदेशी राम /सोहित राम	यादव	551/1	0.700
16	पण्डरीपानी	मीराबाई/चैतराम	सतनामी	551/1	0.800
17	पण्डरीपानी	शंकरलाल/दामोदर	धोबी	551/1	0.150



7/8/15

18	पण्डरीपानी	खुलेश्वर/लूखूराम	कुम्हार	551/1	0.300
19	पण्डरीपानी	धरा सिंह/चैतराम	सतनामी	551/1	0.126
20	पण्डरीपानी	खिखराम/भूखउराम	उरांव	551/1	0.202

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3(1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

3. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के दिनांक 09.05.2015 के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

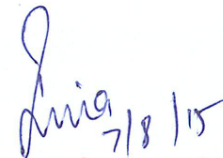

 (रीना बाबासाहेब कंगाले)
 कलेक्टर
 कोरबा (छत्तीसगढ़)
 अध्यक्ष— जिला वन अधिकार समिति
 जिला— कोरबा (छ.ग.)

पृ.क्र./ 1511 / भू.अ./स.अ.भू.अ./2015/

कोरबा दिनांक 7/8/2015

- प्रतिलिपि :-
1. सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
 2. वन मण्डलाधिकारी कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ।
 3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा की ओर सूचनार्थ।
 4. परियोजना प्रमुख भारत एल्युमिनीयम कंपनी लिमिटेड कोरबा की ओर सूचनार्थ।




 (रीना बाबासाहेब कंगाले)
 कलेक्टर
 कोरबा (छत्तीसगढ़)
 अध्यक्ष— जिला वन अधिकार समिति
 जिला— कोरबा (छ.ग.)